

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 12/07/2019

विभाग का नाम : किसान कल्याण तथा कृषि विकास

वर्ग : 1 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 22/07/2019

विषय : भावांतर योजनांतर्गत बनाये गये खरीदी केन्द्र।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 1208) श्रीसंजय शर्मा (संजू भैया)

क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) वर्ष २०१७-१८ एवं वर्ष २०१८-१९ में भावान्तर योजनांतर्गत कृषकों के अनाज खरीदने हेतु बनाये गये खरीदी केन्द्रों का क्या मापदंड था? (ख) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से स्थानों पर भावान्तर योजनांतर्गत खरीदी केन्द्र बनाये गये? उन खरीदी केन्द्रों में कौन-कौन ग्राम सम्मिलित किये गये? सूची उपलब्ध कराये। (ग) खरीदी केन्द्रों से भंडारण गृह की दूरी कितनी तय की गई थी? कौन-कौन खरीदी केन्द्रों से अनाज कौन-कौन से भंडारण गृह पहुंचाया गया? सूची उपलब्ध कराये। (घ) क्या शासन द्वारा वर्ष २०१८-१९ में भावान्तर योजनांतर्गत खरीदे गये अनाज के भुगतान हेतु ०७ दिन की समय सीमा निर्धारित की गई थी? यदि हाँ, तो कितने किसानों का भुगतान किया जा चुका है? कितने किसानों का भुगतान शेष है? इनका भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर :

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कार्यालयीन टीप :- ✓

क./भा.भु.यो./वि.स./1208/तारा/2019/4102

भोपाल, दिनांक 12 जून, 2019

प्रति

1. कलेक्टर, जिला - (समस्त)। कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1208 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित आज ही भिजवाने का कष्ट करें।
2. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जिला- (समस्त)। कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1208 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित आज ही भिजवाने का कष्ट करें।
3. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - (समस्त)। की ओर। कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1208 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित आज ही भिजवाने का कष्ट करें।
4. भारसाधक अधिकारी/सचिव/नोडल मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)। कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1208 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित संभागीय कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। उत्तर की प्रतिलिपि बोर्ड मुख्यालय को न भेजी जावें।

उप संचालक (भा.भु.यो.)
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल